छत्तीसगढ़ विधान सभा

जनवरी-फरवरी, 2009 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी, 2009 (फाल्गुन-1, 1930)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य का भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन-

(i) दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए (सिविल एवं वाणिज्यिक) छत्तीसगढ़ शासन तथा

(ii) दिनांक 31 मार्च,2008 को समाप्त वर्ष के लिए (राजस्व प्राप्तियां) छत्तीसगढ़ शासन पटल पर रखेंगे.

(2) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (क्रमांक 10 सन् 1993) की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य, राजधानी रायपुर में सौन्दर्यीकरण के नाम पर तोड़फोड़ किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य, प्रदेश में बिजली तारों की चोरी की घटनाओं में वृद्धि होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री जयसिंह अग्रवाल,डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, सदस्य, जिला कोरबा स्थित लेंको पावर प्लांट द्वारा कोरबा-चाम्पा मार्ग पर ओव्हर ब्रिज का निर्माण कराये बिना सड़क को काटे जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री अमरजीत भगत, सदस्य, खुटपाली सिंचाई परियोजना वन विभाग की बिना अनुमति के प्रारंभ किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री नंद कुमार पटेल, रविन्द्र चौबे, सदस्य, जिला जशपुर में कार्यरत शिक्षा कर्मियों को वेतन न मिलने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री चैतराम साहू, मोहम्मद अकबर, ताम्रध्वज साहू, सदस्य, जिला बिलासपुर के धान खरीदी केन्द्र बरतौरी में धान की हेराफेरी किये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, सरगुजा वनवृत्त में अवैध कटाई एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री गुरू रूद्र कुमार, सदस्य, मंदिर हसौद से खरोरा के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप संचालित क्रेशर संचालकों द्वारा मापदण्डों का उल्लंघन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, जिला कबीर धाम में रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत फर्जी मजदूरी भुगतान किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा अमृत नमक खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य, प्रदेश में वन्य प्राणियों का शिकार किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री संतोष बाफना, सदस्य, जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र स्थित एन.एम.डी.सी. इस्पात संयंत्र हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा एवं प्रभावित परिवारों को नौकरी नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, कोरबा वेस्ट तथा मारवा में संयंत्र लगाये जाने हेतु निविदा कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, प्रदेश में नक्सलियों द्वारा हत्या एवं लूटपाट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, खरसिया नगर पालिका क्षेत्र में निराश्रितों को पेंशन न मिलने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) सर्वश्री नंद कुमार पटेल, रविन्द्र चौबे, सदस्य, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल चौथी बटालियन, माना के सुपर मार्केट में आग लगने की घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री परेश बागबाहरा, सदस्य, खल्लारी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वालों को राशन कार्ड वितरित न किये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य, प्रदेश में महिला उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) सर्वश्री मोहम्मद अकबर, कुलदीप सिंह जुनेजा, शिवराज सिंह उसारे, सदस्य, रायगढ़ में भूसे की जगह कोयले से बिजली बनाये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य, जिला सरगुजा के ग्राम सबाग में नक्सलियों द्वारा ग्रामीणों के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री रविन्द्र चौबे, श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर, श्री चैतराम साहू, सदस्य, प्रदेश के सूखाग्रस्त जिलों में धान खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री देवजी पटेल, सदस्य, सेमरसोत अभ्यारण्य में वनों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर, सदस्य, भिलाई शहर में पेयजल समस्या की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री संतोष बाफना, सदस्य, जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम छिन्दबहार में उच्चतर माध्यमिक शाला खोलने,

(2) श्री दूजराम बौद्ध, सदस्य, पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत -

(i) ग्राम पंचायत केसला के बोहा नाले में पुल निर्माण करने,

(ii) ग्राम पंचायत सेमरिया के बोहा नाले में पुल निर्माण करने,

(iii) ग्राम पंचायत कोसा के आश्रित ग्राम छैडोलिया में स्टापडेम निर्माण करने,

(iv) ग्राम पंचायत पामगढ़ में संचालित महामाया उ.मा.वि. हेतु भवन निर्माण करने,

(3) श्री लेखराम साहू, सदस्य, कुरूद विधान सभा अंतर्गत-

(i) नगर पंचायत भखारा में शासकीय महाविद्यालय भवन निर्माण करने,

(ii) ग्राम सिरसिदा में महानदी से लगे सरार (सरोवर) में स्टापडेम स्वीकृत करने,

(iii) ग्राम पंचायत मड़ेली में हाई स्कूल भवन निर्माण करने,

(4) श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम, सदस्य, डौंडीलोहारा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत-

(i) डौंडीलोहारा में कोषालय की स्थापना करने,

(ii) ग्राम संजारी में नलजल योजना स्वीकृत करने,

(iii) ग्राम सोरली में नलजल योजना स्वीकृत करने,

(iv) ग्राम कुसुमकसा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करने,

(5) श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर, सदस्य, सक्ती विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत-

(i) ग्राम खैरा में पशु औषद्यालय खोलने,

(ii) ग्राम कोसमंद में पशु औषद्यालय खोलने,

(iii) ग्राम बरपालीकला में हाई स्कूल खोलने

(6) श्री बोधराम कंवर, सदस्य, कटघोरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत-

(i) ग्राम हरदी बाजार से ग्राम बम्हनीकोना तक पक्की सड़क एवं लीलागर नदी पर पुल निर्माण करने,

(ii) ग्राम तेलसरा से ग्राम छिरहुंट तक मार्ग तथा अहिरन नदी पर पुल निर्माण करने,

(7) सुश्री सरोज पाण्डेय, सदस्य, पाटन विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जामगांव (आर) में महाविद्यालय खोलने,

(8) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य, सिहावा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत-

(i) मारागांव-गरियाबंद मार्ग स्थित नदी पर पुल निर्माण करने तथा

(ii) जब्बरा मार्ग स्थित काजल नदी पर पुल निर्माण करने

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक,2009 (क्रमांक 3 सन् 2009) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर

दिनांक 19 फरवरी, 2009